भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1421
28 जुलाई 2026 को उत्तरार्थ

विषय: कम बारिश वाले ज़िलों के लिए आकस्मिक योजना

1421. श्री तनुज पुनियाः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र और राज्य सरकारों ने वर्तमान मॉनसून के मौसम के दौरान अयोध्या प्रखंड और बुंदेलखंड क्षेत्रों सहित उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिलों में कम बारिश की संभावना को देखते हुए कोई विशेष आकस्मिक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों को अत्यधिक संवेदनशील घोषित किया गया है और तत्संबंधी ज़िलेवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या बुंदेलखंड के किसानों को संकट से उबारने के लिए ज्वार, बाजरा, रागी जैसे मोटे अनाजों और तिलहनों के बीजों पर 100% विशेष राजसहायता देने का विचार है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): खरीफ 2026-27 के दौरान सामान्य से कम वर्षा की संभावना को देखते हुए, 262 जिलों की पहचान की गई और निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर संवेदनशील के रूप में निगरानी के लिए प्राथमिकता दी गई: - (i) अल्पतम सतह (लो सर्फेस) सिंचाई कवरेज (<50%): ऐसे जिले जहां 50% से कम कृषि क्षेत्र सतही सिंचाई परियोजनाओं द्वारा कवर किया गया है, जिससे वे अधिकांश मानसून की बारिश पर निर्भर हैं। (ii) कम वर्षा की अधिक संभावना (>30%): ऐसे जिले जिनमें मानसून के दौरान सामान्य से कम वर्षा होने की 30% से अधिक संभावना है। (iii) खरीफ सीजन वर्ष 2024-25 के दौरान 20000 हेक्टेयर से अधिक बोए गए क्षेत्र वाले जिलें।

इन जिलों के लिए, राज्य सरकार के अधिकारियों के परामर्श से अद्यतन जिला कृषि आकस्मिकता योजनाएं तैयार की गई थीं। इन योजनाओं में मानसून के प्रारंभ में देरी के लिए फसल रणनीतियों के साथ-साथ मध्य-मौसम और टर्मिनल ड्रॉट की स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिक उपाय शामिल थे। अद्यतन जिला-स्तरीय फसल आकस्मिक योजनाओं को राज्य सरकार के साथ साझा किया गया।

इसके अलावा, आईसीएआर ने इन आकस्मिक योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए केवीके हेतु मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) विकसित की हैं। इन एसओपी में आवश्यकता आधारित

आकस्मिक योजनाओं का विकास, कार्यान्वयन प्रक्रियाएं, कृषि विभाग और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय, जिले के लिए वास्तविक समय कृषि-सलाह जारी करना, क्षमता विकास, जागरूकता पैदा करना और वास्तविक समय फीडबैक शामिल हैं।

(ग): उत्तर प्रदेश के संवेदनशील जिलों के रूप में पहचान किए गए जिले बदायूं, चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद, झांसी, खीरी, महोबा, सहारनपुर, सोनभद्र हैं। इन जिलों के लिए आकस्मिक योजनाओं का ब्यौरा राज्य सरकार के साथ साझा किया गया है।

(घ): सरकार ने घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास करने के लिए 3 अक्टूबर, 2024 को वर्ष 2024-25 से वर्ष 2030-31 तक सात साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (एनएमईओ-ओएस) को मंजूरी दे दी है।

इस मिशन का उद्देश्य रेपसीड और सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, रामतिल, कुसुम, अलसी और अरंडी जैसी प्राथमिक तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के साथ-साथ कपास, चावल की भूसी, कॉर्न ऑयल और ट्री बोर्न ऑयल जैसे द्वितीयक स्रोतों से संग्रह और निष्कर्षण क्षमता में वृद्धि करना है। यह योजना उत्तर प्रदेश सहित 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एनएमईओ-तिलहन मिशन के तहत बुंदेलखंड क्षेत्र में खरीफ 2026 बीज लक्ष्य और वितरण निम्नलिखित है: -

क्र. सं.	जिले	तिल (क्विंटल में)		मूंगफली (क्विंटल में)		सोयाबीन (क्विंटल में)	
		लक्ष्य	जिला	लक्ष्य	जिला	लक्ष्य	जिला
1	झांसी	120	120	20000	19000	448	448
2	ललितपुर	41	41	3000	3000	1360	1360
3	जालौन	250	250	2000	500	480	479.94
4	हमीरपुर	200	200	3000	3000	16	16
5	महोबा	150	150	10000	10000	16	16
6	बांदा	70	70	100	80	0	0
7	चित्रकूट	11	11	0	0	0	0

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राज्यों (उत्तर प्रदेश सहित) और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जिला स्तरीय फसल और किस्म के चयन के लिए प्री-सीजन प्लानिंग, राष्ट्रीय बीज रिजर्व (एनएसआर) फ्रेमवर्क के तहत जल्दी पकने वाली-कम अवधि की किस्मों के राज्य स्तरीय बीज भंडार, मानसून की शुरुआत से पहले आकस्मिक बीज भंडार को सक्रिय करने और चरम मांग के दौरान बीज की गुणवत्ता और मात्रा की निगरानी का सहायता करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है।

वर्ष 2026-27 के लिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) : बीज घटक, के तहत हस्तक्षेपों को प्रारंभ करने के लिए उत्तर प्रदेश की वार्षिक कार्य योजना के तहत 2684.72 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 2026-27 के दौरान उत्तर प्रदेश की एनएफएसएनएम वार्षिक कार्य योजना के तहत श्री अन्न (हाइब्रिड ज्वार और बाजरा) के 15433 क्विंटल बीजों को राज्य में वितरण के लिए लागत का @50% या 10,000 रुपये/क्विंटल (जो भी कम हो) अनुमोदित किया गया है।
